IV 169/17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 297168

न्यास–पत्र

7518095280, 8423194063 9838336384

विद्यासागर मिश्र

अनिरुद्ध पाण्डेय
एडवोकेट
कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर

कलेक्ट्री कचहरी, गोरखपुर

हम कि श्री विद्यासागर मिश्र उम्र 72 वर्ष पुत्र श्री हृदयानन्द मिश्र निवासी ग्राम–जिरासो, पोस्ट–भागलपुर, जनपद–देवरिया वर्तमान पता–म0नं0–100, दिव्यनगर कालोनी, पो0–खोराबार, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर (उ0प्र0) का हूँ। हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ और हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यो के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर जनसामान्य का सर्वांगीण विकास कर समाज में सुख–शान्ति, आपसी सद्‌भाव व विश्वास, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना के साथ ही साथ समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूल–भूत आवश्यकताएं, भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यवहारिक ज्ञान–प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर

विद्यासागर मिश्र

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AD 526590

(ख) **ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन**

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेगें। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।
2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया–कलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. **मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य**

* इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करने के साथ ही ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों एवं महाविद्यालयों आदि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
* ट्रस्ट के बैठकों की अध्यक्षता करना तथा किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मत होने की स्थिति में अपना एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना।
* ट्रस्ट मण्डल की ओर से इसके समस्त पदाधिकारियों में कार्यों का विभाजन करना और समय–समय पर आवश्यकतानुसार दायित्वों को सौंपना तथा मुख्य न्यासी/प्रबन्धक व अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से सरकारी, गैर सरकारी विभागों तथा संस्थाओं से सहयोग व सहायता प्राप्त करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (16) 24AD 526591

* ट्रस्ट मण्डल की बैठकों को आयोजित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करना तथा बैठकों की तिथि को अनुमोदित व स्थगित करना।
* ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।
* ट्रस्ट की कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
* ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
* ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब–किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।
* ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
* ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
* इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।
* ट्रस्ट के आय–व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराना।
* ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना।
* किसी विवाद की स्थिति में मुख्य ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

8. **ट्रस्ट की कोष व्यवस्था**

ट्रस्ट के कोष को सुचारू रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी राष्ट्रीयकृत/मान्यता

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 297180

6. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि, सम्बन्धित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट की नियामक संस्था अथवा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।
7. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन–देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्चे व उसके संबंध में प्रस्तुत व्यय राशि से संबंधित बिलों व बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।
9. ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड व सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय के संचालन के सम्बन्ध में शासन के निम्नांकित प्रतिबन्ध स्वीकार होंगे–

(I) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
(II) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 297181

(III) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रां के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

(IV) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(V) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(VI) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(VII) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

(VIII) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(IX) उक्त शर्तो में बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 297178

10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।
11. ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कराना तथा उक्त अधिनियम की धारा–80 जी0जी0 के अन्तर्गत छुट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।
12. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक संस्थओं के प्रबन्ध समिति के गठन हेतु पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित करना तथा ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों व इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर आवश्यक कार्य करना।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन–

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा :–

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुकिर होंगे। हमारे मत्यु होने के उपरान्त हम मुकिर के ज्येष्ठ पुत्र मनमोहन मिश्र पुत्र श्री विद्यासागर मिश्र ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी होंगे।
2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमंता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा। किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 297179

3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों मे से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का निर्वाचन ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने मे से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ~~ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक व अध्यक्ष के आकस्मिक निधन होने पर उन्हीं के परिवार का विधिक उत्तराधिकारी चयनित होगा~~। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नही हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख–रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।

4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हों जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में मुख्य ट्रस्टी के प्रस्ताव पर ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 297177

4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु शुल्क, दान, चंदा इत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयॉ गठित करना।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना तथा मेधावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख–भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।
7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।
8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।
9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध–सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण एवं अन्य श्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 297176

सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्पलागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करना।

24. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।
25. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा तथा किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी तंत्र अथवा एन0जी0ओ0, एसोसिएशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया–कलापों में सहयोग दना।
26. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करना।
27. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंको से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5. **ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य**

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 297175

17. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान–मसाला, गांजा–भांग, स्मैक, एल0सी0डी0 या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।
18. समाज में व्याप्त बुराईयों बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग–भेद, जाति–पॉति एवं छुआ–छूत की भावना, को दूर करना।
20. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे–योगा, जिम्नास्टिक, जूड़ो कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता की व्यवस्था कराना।
21. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण/दवा वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना कर रक्तदान शिविर का आयोजन करना।
22. एड्स, कैन्सर, टी0वी0, कोढ़, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम /नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालयों डीम्ड यूनिवर्सिटी तथा प्रशिक्षण केन्द्रों एवं ब्लड बैंक, डाइग्नोस्टिक सेन्टर, चिकित्सालय, नर्सिंग होम व पालिक्लिनिक की स्थापना करना।
23. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क खडन्जा, पिच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी–गैर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 297174

15. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी–बूटी वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लान्ट) व अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना।
16. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को जन–जन तक पहुँचाना।
17. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके जैसे–यूनीसेफ, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
18. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन तथा इसके लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना।
19. सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना–विभिन्न त्यौहारों और समारोहों पर होने वाले भोजन, अनाज के अपव्यय की रोक–थाम हेतु प्रयास करना।
20. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण/दवा वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना कर रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 297173

9. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग, पेन्टिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास भोजन, वस्त्र, दवा यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
10. खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
11. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन करना।
12. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों, निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि।
13. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना। वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।
14. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योग प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 297172

4. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी, गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा हेतु महाविद्यालय एवं शिक्षा–प्रशिक्षण स्थापित करना तथा समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना तथा टेक्निकल इन्जीनियरिंग मैनेजमेन्ट इन्स्टीच्यूटर, मेडिकल एवं पैरामेडिकल कालेज, फार्मेसी, होटल मैनेजमेन्ट एवं इस प्रकार के अन्य सम्बन्धित कार्सो का संचालन करना।
5. वर्तमान समय में विज्ञान के जन–जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध करना।
6. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्र–भक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
7. लिंग–भेद, जाति–पॉति, छुआ–छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।
8. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे–मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरो की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 297171

4. प्रवीण कुमार मिश्र पुत्र श्री बी0एस0 मिश्र उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम–जिरासो, पोस्ट–भागलपुर, जिला–देवरिया।
5. डॉ0 धर्मदेव शुक्ला पुत्र स्व0 नारायण शरण शुक्ला उम्र 74 वर्ष निवासी एन–14/67, ए–2/के0 कृष्णदेव नगर, पोस्ट–भेलुपुर, जिला–वाराणसी।
6. माया पाण्डेय पुत्री श्री रामजी पाण्डेय उम्र 38 वर्ष वार्ड नं0–18, पो0–भमुआ, जिला–कैमूर, बिहार।

4. यह कि हम मुकिर द्वारा "**प्रभा–बिन्दु मेमोरियल ट्रस्ट (P.B.M Trust)**" के नाम से स्थापित ट्रस्ट के स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :–

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभासम्पन्न मेधावी छात्रों को देश–विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।
3. नव युवक, नव युवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट (10+2) व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना कर सम्बन्धित विद्यालय की माध्यमिक शिक्षा परिषद, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा विश्वविद्यालय से नियमानुसार मान्यता व सम्बद्धता प्राप्त कर निर्धारित कक्षाओं का संचालन करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 297170

इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूरा द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर भी विधिपूर्ण कार्यों का संचालन किया जा सकेगा।

3. यह कि हम मुकिर ट्रस्ट के संस्थापक मुख्य ट्रस्टी होगें तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेगें। हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत है, को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करता हूँ। भविष्य में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है :–

1. मनीष मिश्र पुत्र श्री मनमोहन उम्र–32 वर्ष निवासी **ए–100, दिव्यनगर कालोनी, खोराबार, जिला–गोरखपुर**(उ0प्र0)।
2. किशन मिश्र पुत्र एम0एम0 मिश्र उम्र–21 वर्ष निवासी **ए–100, दिव्यनगर कालोनी, खोराबार, जिला–गोरखपुर** (उ0प्र0)।
3. हेमन्त कुमार मिश्र पुत्र श्री विद्या सागर मिश्र उम्र–44 वर्ष निवासी ग्राम–जिरासो, पोस्ट–भागलपुर, जिला–देवरिया।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रू.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 297169

उपलब्ध कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई–चारा, साम्प्रदायिक ताल–मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति–पाँति, छुआ–छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना से अलग हटकर मेधावी व प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराने तथा विभिन्न शैक्षिक एवं सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहकर जनहित के कार्यों को संम्पादन कर उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न समितियों एवं संस्थाओं का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिर द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत **5,100/–(पांच हजार एक सौ रूपये)** का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की मैं व्यवस्था करता रहूंगा। हम मुकिर अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत निम्नवत न्यास पत्र को निष्पादित किया जा रहा है–

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम **"प्रभा–बिन्दु मेमोरियल ट्रस्ट (P.B.M Trust)"** होगा जिसे न्यास पत्र में आगे **"न्यास"** अथवा **"ट्रस्ट"** शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय–**ए–100, दिव्यनगर कालोनी, खोराबार, जिला–गोरखपुर** में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत

विद्यासागर पाण्डेय